राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

No: PS/PHS/2009 / 219 Date 10 July 2009

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त, राजस्थान।

विषय :— जन औषधि स्टोर स्थापित करने बाबत्।

जैसा की आपको पूर्व में निर्देशित किया गया था कि सभी जन औषधि स्टोर की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में की जानी है। परन्तु अब राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी जन औषधि स्टोर 20 अगस्त से पूर्व आवश्यक रूप से स्थापित कर दिये जावें। इसके लिये अविलम्ब निम्न बिन्दुओं के अनुसार व्यवस्था करवायें:

1. यदि जन औषधि स्टोर हेतु आपके अस्पताल में स्थान उपलब्ध है तो उसमें आवश्कतानुसार परिवर्तन करवाकर 10 X 10 की दो दुकानें तैयार करवायें।
2. अस्पताल परिसर में जन औषधि स्टोर हेतु निर्मित स्थान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अस्पताल में मुख्य स्थान पर 10 X 10 की दो दुकानों का निर्माण अविलम्ब करवायें।
3. उक्त दोनों बिन्दुओं हेतु आपको मेडिकेयर रिलिफ समितियों के फण्ड एवं एनआरएचएम के अनटाइड फण्ड से व्यय किये जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है।
4. विभाग द्वारा उक्त जन औषधि स्टोर हेतु फार्मेसिस्ट के पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु नियुक्ति प्रक्रिया पर वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण इसमें समय लगने की सम्भावना है। अतः आप अपने स्तर पर निविदा प्रक्रिया के तहत दो फार्मेसिस्ट का चयन कर तैयार रखें ताकि जन औषधि स्टोर कार्यशील करते समय उनको कार्य पर लिया जा सके।
5. इसके लिये औषधि नियंत्रण विभाग में लाइसेन्स के लिये आवेदन भी किया जाना होगा, अतः अविलम्ब इसकी औपचारिकताऐं पूर्ण कर ली जावें।
6. जन औषधि स्टोर हेतु जैनेरिक औषधियों की मांग अधिग्रहण (requisition) भी शीघ्र मिशन निदेशक, एनआरएचएम को भिजवायें जिससे आरडीपीएल द्वारा औषधियां प्राप्त कर वितरण किया जा सके।

कृपया उक्त कार्य युद्ध—स्तर पर पूर्ण कर पालना रिपोर्ट से अद्योहस्ताक्षरकर्ता एवं निदेशक आर.सी.एच को अवगत करवाने का श्रम करें।

(आर. के. मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

कमरा न. 5207, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान — 302 005

Tel [O]: 0141-2227851 Tel [R]: 0141-2704646 Fax: 0141-2227797 Email: phs_260@yahoo.com